न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO), बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी :— श्री वीरमा राम आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :— 419 / 2024

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थी
1 पूनमसिंह पुत्र रावतसिंह 2 लक्ष्मीदेवी पत्नी गेनसिंह 3 सीताकंवर पत्नी मंगलसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी सोनड़ी 4 आम्बाराम पुत्र ईशराराम जाति जाट निवासी नांद तहसील व जिला बाड़मेर		1 तहसीलदार बाड़मेर

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 136 RLR Act.

उपस्थिति :—

1. श्री पवन सिंघल, वकील प्रार्थीगण पक्ष।
2. पैरोकार सरकार।

आदेश

दिनांक 09/06/2025

संक्षिप्त में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण के संयुक्त खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि मौजा जोगनगर पटवार हल्का गेहूं तहसील व जिला बाड़मेर के खेत खसरा नम्बर 942 / 220 रकबा 0.6475 हैक्टेयर भूमि आई हुई है, जिसमें प्रार्थीगण की रहवासी ढाणी, टांके आदि बने हुऐ है। वादग्रस्त भूमि में प्रार्थी पूनमसिंह का 1 / 12 हिस्सा रकबा 0.06.13 बीघा प्रार्थी आम्बाराम का 01.00 बीघा प्रार्थीनी लक्ष्मी देवी का 1 / 3 हिस्सा तथा सीता कंवर पत्नी मंगलसिंह का 1 / 3 हिस्सा संयुक्त खातेदारी का है। वादग्रस्त भूमि खसरा संख्या 942 / 220 प्रार्थी संख्या 01 से 03 द्वारा जरिये पंजीबद्ध बेचान पत्र दिनांक 03.08.2011 को पूर्व खातेदार बलवीर पुत्र भारमलराम से क्रय की गई थी जो भूमि खसरा संख्या 837 / 220 रकबा 10.19 बीघा बलबीर पुत्र भारमल राम की खातेदारी की थी जिसमे बलवीर द्वारा 04.00 बीघा भूमि का बेचान प्रार्थी संख्या 01 से 03 को कर दिया जिसका नवीन खसरा संख्या 942 / 220 जरिये नामान्तकरण संख्या 863 दिनांक 16.01.2012 के जरिये सृजित हुआ जो राजस्व रेकर्ड में प्रार्थीगण का नाम दर्ज हुआ। प्रार्थी संख्या 01 का नाम गलत नामान्तकरण संख्या 910 के जरिये राजस्व रेकर्ड से हटा दिया गया जबकि उक्त खसरा संख्या 942 / 220 में 0.06.13 बीघा की भूमि प्रार्थी पूनमसिंह के खातेदारी की शेष है, जिसे बाबत् नामान्तकरण संख्या 910 को अपास्त करने की अपील माानीय न्यायालय में पूनमसिंह द्वारा पेश की गई जो विचाराधीन है लेकिन प्रार्थी संख्या 01 आज भी खसरा संख्या 942 / 220 में अपने शेष भूमि पर काबिज है जिसके कारण खसरा संख्या 942 / 220 बाबत् तरमीम दुरूस्ती का आवेदन प्रस्तुत किया है। खसरा संख्या 670 / 220 रकबा 75.18 बीघा भूमि थी जिसमे से अन्य सहखातेदार द्वारा खसरा संख्या 670 / 220 का तहसीलदार बाडमेर द्वारा सहमति से विभाजन हो जाने के पश्चात बलबीर के हिस्से में खसरा संख्या 837 / 220 रकबा 10.19 बीघा भूमि रही जिसमे से 04.00 बीघा भूमि बलवीर द्वारा प्रार्थी संख्या 01 से 03 को बेचान की गई थी उसके बेचान दिनांक 03.08.2011 में प्रार्थी संख्या 01 से 03 को बलवीर के नवीन खसरा संख्या 942 / 220 की तरमीम वास्तविक भौतिक कब्जा व बेचान के अनुरूप

उपखण्ड अधिकारी
बाड़मेर

नक्शा के अनुरूप नही की गई और वास्तविक भौतिक कब्जा और बेचान दिनांक 03.08.2011 के संलग्न नक्शा अनुरूप न कर दूर कर दी गई है। आवेदन के संलग्न नक्शा परिशिष्ठ 'अ' में बरंग लाल से प्रदर्शित भूमि पर प्रार्थीगण का कब्जा काश्त है तथा उक्तानुसार ही बेचान में मौके पर सुपूर्द भौतिक कब्जा अनुरूप भूमि को दर्शाया गया है और बरंग हरे से मार्क भूमि पर गलत तरमीम को दर्शाया गया है। प्रार्थीगण के खेतों के बीच अलग अलग तरमीम भी हुई है परन्तु लठ्ठा ट्रेस में की गई है, लेकिन लठ्ठा ट्रेस में की गई तरमीम व मौके पर मौजूद कब्जा काश्त में भारी अन्तर है। इस प्रकार राजस्व अधिकारियों ने वादग्रस्त भूमि की मौके पर जांच किये बिना एवं पक्षकारान के कब्जा काश्त के अनुसार तरमीम नहीं की गई है। प्रार्थीगण का मौके पर वादग्रस्त भूमि में परिशिष्ठ ''अ'' के अनुसार कब्जा काश्त है। प्रार्थीगण वर्तमान में मौजा जोगनगर पटवार हल्का गेहूं तहसील व जिला बाड़मेर के खेत खसरा नम्बर 942/220 की तरमीम मूल खसरा संख्या 837/220 में बेचान दिनांक 03.08.2011 की भूमि की तरमीम मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार परिशिष्ठ 'अ' में प्रदर्शित भूमि बरंग लाल अनुसार तरमीम दुरस्त करवान चाहते है, जिस हेतु यह आवेदन माननीय न्यायालय में पेश किया गया है। लिहाजा मौजा जोगनगर पटवार हल्का गेहूं तहसील व जिला बाड़मेर के खेत खसरा नम्बर 942/220 की तरमीम मूल खसरा संख्या 837/220 भूमि की वर्तमान तरमीम निरस्त करते हुए संलग्न नक्शा परिशिष्ठ 'अ' में प्रदर्शित भूमि बरंग लाल अनुसार तरमीम शुद्ध किये जाने का आदेश फरमावें।

आवेदन दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी तहसीलदार बाडमेर से मौका रिपोर्ट तलब की गई।

तहसीलदार बाडमेर ने अपने पत्रांक भू.अ./2025/1311 दिनांक 20.05.2025 को रिपोर्ट इस आशय की उपलब्ध करवाई कि प्रार्थीगण की भूमि मौजा जोगनगर पटवार हल्का गेहूं तहसील व जिला बाड़मेर के खेत खसरा नम्बर 942/220 की तरमीम संलग्न नक्शा परिशिष्ठ 'ए: अनुसार है। प्रार्थीगण द्वारा भूमि का क्रय खसरा संख्या 837/220 में किया गया था तथा मौके पर कब्जा काश्त भी प्रपत्र 'बी' अनुसार खसरा संख्या 837/220 में है, परन्तु नक्शा लठ्ठा ट्रेस में तरमीम भूलवश खसरा संख्या 839/220 में कर दी गई थी, जिसे संलग्न प्रपत्र 'बी' अनुसार दुरूस्त किया जाना प्रस्तावित है। खसरा संख्या 837/220, 839/220 व 942/220 के खातेदारान संलग्न प्रपत्र 'बी' अनुसार तरमीम दुरूस्त करवाने हेतु सहमत है उसी अनुसार दुरूस्त किये जाने की अभिशंषा की है।

वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत तहसीलदार बाडमेर की मौका रिपोर्ट अनुसार मौजा जोगनगर पटवार हल्का गेहूं तहसील व जिला बाड़मेर के खेत खसरा नम्बर 837/220, 839/220 व 942/220 की तरमीम प्रपत्र 'ब' के अनुसार दुरूस्त किये जाने पर सहमति प्रकट की। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के संलग्न दस्तावेजात का भी गंभीरता पूर्वक अवलोकन किया गया। तहसीलदार बाडमेर द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट पर दस्तावेजों का अवलोकन किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बाड़मेर

ार बाडमेर द्वारा अपनी मौका रिपोर्ट में अंकित किया है कि प्रार्थीगण द्वारा का क्रय खसरा संख्या 837/220 में किया गया था तथा मौके पर कब्जा काश्त ी प्रपत्र 'बी' अनुसार खसरा संख्या 837/220 में है, परन्तु नक्शा लठ्ठा ट्रेस में तरमीम भूलवश खसरा संख्या 839/220 में कर दी गई थी, जिसे संलग्न प्रपत्र 'बी' अनुसार दुरूस्त किया जाना प्रस्तावित है। खसरों के खातेदार प्रारूप ''बी'' के अनुसार तरमीम दुरस्त करने पर सहमत है। प्रकट तथ्यों के मद्देनजर मौजा जोगनगर पटवार हल्का गेहूं तहसील व जिला बाड़मेर के खेत खसरा नम्बर 837/220, 839/220 व 942/220 की वर्तमान लठ्ठा ट्रेस तरमीम को निरस्त करते हुए मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार तहसीलदार बाडमेर द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के संलग्न प्रपत्र ''बी'' के अनुसार दुरूस्त (शुद्धिकरण) किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र तहसीदार बाडमेर की मौका रिपोर्ट के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तावित तरमीम प्रपत्र 'बी' को वकील प्रार्थीगण की सहमति पर स्वीकार किया जाकर मौजा जोगनगर पटवार हल्का गेहूं तहसील व जिला बाड़मेर के खेत खसरा नम्बर 837/220, 839/220 व 942/220 की वर्तमान लठ्ठा ट्रेस में अशुद्ध तरमीम को निरस्त करते हुए तहसीलदार बाडमेर द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के संलग्न प्रपत्र ''बी'' के अनुसार तरमीम दुरूस्त कर राजस्व नक्शा में तरमीम दुरूस्त (शुद्धिकरण) किया जाता है। तहसीलदार बाडमेर तदनुसार समस्त राजस्व अभिलेख शुद्ध करें। तहसीलदार बाडमेर द्वारा प्रस्तुत नक्शा प्रपत्र ''बी'' आदेश का अभिन्न अंग रहेगा। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(वीरमा राम)
उपखण्ड अधिकारी
(SDO), बाड़मेर

उपखण्ड अधिकारी बाड़मेर

आदेश आज दिनांक 09/06/2025 को सरें ईजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
(SDO), बाड़मेर

उपखण्ड अधिकारी बाड़मेर